राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर
दूरभाष नं. 0141–5101965ई–मेल– jdagr_atc1@rediffmail.com

क्रमांक : प.8(5)एटीसी/दि.नि./2017–18/6741-6813 दिनांक : 22/03/2017

उप निदेशक कृषि (शस्य),
ग्राह्य परीक्षण केन्द्र,
तबीजी (अजमेर), सुमेरपुर (पाली), मलिकपुर (भरतपुर), चित्तौडगढ,
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर), रामपुरा (जोधपुर), लूणकरणसर (बीकानेर),
छत्रपुरा (बून्दी), हनुमानगढ, आबूसर (झुन्झुनू)।

विषय :– वर्ष 2017–18 में ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों (एटीसी) द्वारा किये जाने वाले तकनीकी कार्यक्रमो/गतिविधियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों (एटीसी) द्वारा वर्ष 2017–18 में सम्पन्न किये जाने वाले विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। एटीसी प्रभारी सभी कार्यक्रमों के लक्ष्यों की पालना सुनिश्चित् करते हुए शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अपने स्तर पर बनावें। खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् तथा उप निदेशक कृषि (शस्य) एटीसी से समन्वय रखकर खण्ड में विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत कृषक प्रशिक्षणो का आयोजन एटीसी पर प्राथमिकता से कराया जाना सुनिश्चित करे। एटीसी प्रभारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रगति से संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी) कृषि निदेशालय जयपुर को अवगत करावें।

संलग्न : दिशा–निर्देश।

20.3.17
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक कृषि

क्रमांक : प.8(5)एटीसी/दि.नि./2017–18/ 6741-6813 दिनांक : 22/03/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सहा., निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, जयपुर।
2. अति0 निदेशक कृषि (विस्तार/अनुसंधान/आदान/नमूप/समन्वयक) कृषि निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना /प्रबोधन.एवं मूल्यांकन/ विस्तार/ गुण नियंत्रण / आदान / पौध संरक्षण /ज0उ0प्र0/ आर.के.वी.वाई.), कृषि निदेशालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कृषि, कृषि निदेशालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि), राज्य जैव उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन),खण्ड.....।
7. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् समस्त –
8. ए0 सी0 पी0, कृषि निदेशालय, जयपुर।
9. पी0 आर0 ओ0 सूचना शाखा, कृषि निदेशालय, जयपुर।
10. आरक्षी पत्रावली।

(एस.के.हुडडा)
संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी)

ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों (ए.टी.सी.) पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों हेतु दिशा–निर्देश वर्ष 2017–18

राज्य के विभिन्न कृषि जलवायुविक क्षेत्रों (Agro-climatic zones)में 10 ग्राह्य परीक्षण केन्द्र (Adaptive Trial Centre) स्थापित है जिनका मुख्य उद्धेश्य कृषि जलवायुविक परिस्थितियों के अनुसार राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी सिफारिशों का स्थानीय परिस्थितियों में सत्यापन करना एवं व्यावहारिक तथा उपयोगी पाये जाने पर उन्हें संबंधित कृषि जलवायुविक खण्ड के कृषकों के लिए सिफारिश कराने हेतु विभागीय पैकेज ऑफ प्रेक्टिस (PoP) में सम्मिलित कराना है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार भी कृषि तकनीक पर फसल ग्राह्य परीक्षणों (Adaptive Trials)का आयोजन ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों पर किया जाता है।

उपरोक्त मुख्य कार्यों के अतिरिक्त इन केन्द्रों द्वारा अन्य कार्य जैसे जैविक खेती प्रदर्शन, सामान्य एवं जैविक फसल बीज उत्पादन कार्यक्रम, समन्वित जैव प्रबंधन योजना के तहत आईपीएम प्रयोगशाला में बायोएजेन्टस (ट्राईकोडर्मा, बावेरिया, मेटेरिज्म, ट्राईकोग्रामा कार्ड आदि) का उत्पादन, कृषक प्रशिक्षण, किसान मेले का आयोजन, वर्मीकल्चर उत्पादन एवं वितरण आदि भी किया जाता है। इन केन्द्रों पर निजी कम्पनियों के फसल किस्मीय बीजों/उत्पादों के परीक्षण की सुविधा भी निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त उपलब्ध है।

वर्ष 2017–18 में प्रत्येक एटीसी/कृषक प्रक्षेत्र (Cultivator's field) पर खरीफ/रबी मौसम पूर्व आयोजित क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति (ZREAC) एवं कृषि निदेशालय में आयोजित खरीफ/रबी की ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार फसल ग्राह्य परीक्षण आयोजित किये जावें।

इस वर्ष प्रत्येक ग्राह्य परीक्षण केन्द्र द्वारा सामान्य कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्र की मांग अनुसार कोई भी ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम यथा अजोला/मशरूम प्रदर्शन, फलदार पौधों, नयी फसल, औषधीय पौधे, मधुमक्खी पालन, हाइड्रोपोनिक/एयरोपोनिक खेती आदि पर कार्यक्रम क्रियान्वित किये जावें। तद्नुसार कार्य योजना बनाकर आवश्यक रूप से संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) ए.टी.सी को भिजवाना सुनिश्चित् करेगें। जिन एटीसी पर आई.पी.एम. लेब स्थित है वहाँ कार्यों में आपसी सामंजस्य बनाते हुए यह सुनिश्चित् करें कि आई.पी.एम. में कार्यरत स्टाफ का ए.टी.सी. कार्यों में तथा ए.टी.सी. पर कार्यरत स्टाफ का आई.पी.एम. कार्यों में आवश्यकता अनुसार योगदान लिया जावें।

ग्राह्य परीक्षण कार्यक्रमों (Adaptive Trial Programmes) **के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार है :–**

1. ग्राह्य अनुसंधान (Adaptive Research) के अंतर्गत ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों (ATC's) एवं कृषक प्रक्षेत्रों (Cultivator's fields) पर फसल परीक्षण आयोजित किये जायेंगे, खरीफ 2017 एवं रबी 2017–18 हेतु प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य जर्क बैठक एवं निदेशालय स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार होंगे। जिसके लिए आवश्यक राशि राज्य योजनान्तर्गत सामान्य, एस. सी.पी. एवं टी.एस.पी. मद के ऑबजेक्ट हेड–28 (विविध व्यय) में आवंटित की जायेगी। इस राशि का उपयोग फसल परीक्षणों एवं विभिन्न तकनीकी/विविध कार्यक्रमों पर होने वाले समस्त संचालन व्यय यथा सामग्री प्रदाय, संविदा सेवा (प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार), फसल परीक्षण क्षेत्रों के भ्रमण में वाहन व्यय, परीक्षणो के आयोजन एवं विभिन्न विभागीय

प्रशिक्षणों मे भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता व्यय, नीड बेसड् कृषक प्रशिक्षणों/किसान दिवस आयोजन, कार्यालय व्यय आदि पर व्यय हेतु किया जावेगा।

2. गैर–विकासात्मक/गैर आयोजना मद के संविदा सेवा उपमद एवं राज्य योजना में आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदायें आमंत्रित करके ही किया जावें। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम–III के भाग II के आईटम संख्या 20 (ख) के अंतर्गत कार्यालय अध्यक्ष को प्रतिवर्ष प्रति फार्म प्रायोगिक कार्य संविदा पर कराने हेतु राशि रूपये रूपये 30,000/– तक तथा खण्डीय अधिकारी संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) को राशि रूपये 50000/– तक की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। इस प्रकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रदत्त शक्तियों एवं RTPP Act 2012 and Rules 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कराये जावें। फार्म पर जर्क एवं राज्य स्तरीय रिव्यू मीटिंग के द्वारा अनुमोदित ग्राह्य परीक्षणों (Adaptive trials), जैविक खेती व बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा अन्य विविध कार्यो जैसे चौकीदारी, खाला/कार्यालय सफाई, वर्मीकम्पोस्ट तैयार करना आदि की कार्य योजना हेतु सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित व्यय का आंकलन कर कार्यवार प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कृषि निदेशालय भिजवायें जावें एवं जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार खुली निविदायें आमंत्रित की जावें। निविदायें खोलने सहित सम्पूर्ण कार्यवाही कार्यालय स्तर पर गठित निविदा समिति द्वारा की जा कर समिति की स्पष्ट अनुशंसा मय औचित्यात्मक टिप्पणी के केवल निविदा कार्यवाही ही वित्तीय स्वीकृति हेतु कृषि निदेशालय को भिजवायें। तदनुसार स्वीकृति उपरान्त ही कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जावे।

3. फसल ग्राह्य परीक्षणों (Adaptive trials) का आयोजन संबंधित वैज्ञानिकों की देख–रेख में किया जाये।

4. कृषक प्रक्षेत्र (Cultivator's field) पर आयोजित किये जाने वाले परीक्षणों हेतु कृषकों का चयन संबंधित वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण आयोजन से कम से कम 15 दिवस पूर्व किया जावे।

5. जिस कृषक प्रक्षेत्र (Cultivator's fields) पर परीक्षण आयोजित किया जाना है उसकी मिट्टी एवं पानी की जाँच कराई जायें एवं जाँच विश्लेषण (Soil analysis) रिपोर्ट के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाये। मौके पर ही मिट्टी परीक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई मृदा परीक्षण किट का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

6. एटीसी पर सभी परीक्षणों का आयोजन सांख्यिकीय डिजायन (Stastical Design) में किया जावें।

7. प्रत्येक एटीसी पर संबंधित वैज्ञानिक प्रत्येक परीक्षण का बुवाई से लेकर कटाई तक जैसे बीज का जमाव प्रतिशत (Seed germination), पौधों की संख्या प्रतिवर्ग मीटर (Number of plants per M^2), कल्लों की संख्या (Number of tillers), शुरूआत में फसल–वृद्धि कारकों (Growth attributes), उपज–वृद्धि कारकों (Yield attributes) यथा बाली/फलियों की संख्या प्रति पौधा एवं लम्बाई, दानों की संख्या प्रति पौधा, कीट एवं पौध व्याधि के प्रकोप आदि का आबर्जेवेशनल डायरी (Observational diary) में रिकार्ड संधारण करेंगे।

8. फसल कटाई उपरान्त उपचार अनुसार उपज प्रति प्लॉट (Treatmentwise yield per plot) और 1000 दानों का भार (Test weight) भी रिकॉर्ड करेंगे।